आरक्षण मंडल बनाम जगरान भेंगरा कॉ०

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद संख्या – 83/2018-19

धारा –107 द0 प्र0 सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख संहित
18/6/18	अंचल अधिकारी तोरपा के पत्रांक 303(ii) दिनांक 15.06. 2018 के द्वारा सूचित किया है कि जापुद के ग्रामीणों द्वितीय पक्ष 1. जगरान भेंगरा, पिता–रोटें भेंगरा 2. पीरटु भेंगरा, पिता– लोहरा भेंगरा 3. लुकास भेंगरा पिता–गोमतीर पूर्ति 4. जॉनी भेंगरा, पिता–रंगा भेंगरा 5. मरसल भेंगरा, पिता–बारय भेंगरा 6. पौलुस भेंगरा, पिता–हलकराई भेंगरा 7. सनिका भेंगरा, पिता–भोगता भेंगरा 8. एतवा भेंगरा, पिता–लखन भेंगरा 9. रामु मीनजूर, पिता–साहदेव मीनजुर, ग्राम–जापूद, पोस्ट–आंगराबारी, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी द्वारा टमाड़ ट्रांसमिशन लाईन का टावर खड़ा करने नहीं दिया जा रहा है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी। अतः मैं प्रणव कुमार पॉल अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी अंचल अधिकारी तोरपा के प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट हो कर द0 प्र0 सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरूद्व नोटिस निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय। दिनांक 26/6/18 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 18/6/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।	

…19	नोटिस तामिला अप्राप्त। 00 सीआरपीसी से प्रतिवेदन की मांग करें। दिनांक 20/7/19 को रखें। (हस्ताक्षर) 29.06.19
…7/19	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 17/08/19 को रखें।
…08/19	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 21/09/19 को रखें।
21/09/19	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 22/10/19 को रखें। (हस्ताक्षर) 21.09.19
22.10.19	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 30.11.19 को रखें।
30/11/19	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 28/12/19 को रखें। समयावधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) 30.11.19